CGST Act, 2017 read with Rule 48(4)
DELIVERY CHALLAN
PRISM JOHNSON

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट संख्या-01, सैक्टर- नॉलेज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला- गौतमबुद्ध नगर-201310

पत्रांकः ग्रे.नौ./बिल्डर्स/2022/4211
दिनॉकः 26 नवम्बर, 2022

नोटिस

सेवा में,

M/s Solaris Realtech Pvt.Ltd.,
H.No.373, Gali No.4,
RS Block Jharkhandi Road,Shahdara
Delhi - 110032

विषयः- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या **GH-16B** सैक्टर- **01** के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या GH-16B सैक्टर 01 ग्रेटर नौएडा का आबंटन दिनॉक 01.03.2011 को आपके पक्ष में किया गया एवं पटटा प्रलेख दिनॉक 26.08.2013 को निष्पादित किया गया। आपके पक्ष में निष्पादित पटटा प्रलेख में इंगित पेमेंट. शिडयूल के अनुसार आपको किश्तों की मद में देय धनराशि एवं भू-भाटक का भुगतान करना था किन्तु आपके द्वारा नियत अवधि में धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है तो कि आबंटन एवं पटटा प्रलेख की शर्तों का उल्लंघन है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड के विरूद्ध दिनॉक 15.12.2022 तक विभिन्न मदों में अतिदेय धनराशि **8,96,62,368.27** का विवरण निम्नवत है:-

1.	किश्त एवं ब्याज	रू० **8,97,35,836.54**
2.	भू-भाटक एवं ब्याज	रू० -
3.	64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर एवं ब्याज	Merged In Premium
4.	कुल धनराशि (1+2+3)	रू० **8,97,35,836.54**
5.	समयवृद्धि शुल्क	भूखण्ड पर समयवृद्धि शुल्क नियमानुसार देय होगा, जिसके सम्बन्ध में पृथक से अवगत करा दिया जाएगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या (सिविल) 940 वर्ष, 2017 विक्रम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 7.11.2022 को पारित आदेश एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या 1567/77-4-20-36एन/20 दिनॉक 9.6.2020 के क्रम में जारी कार्यालय आदेश संख्या 76288/ग्रे. नौ./कार्यालय-आदेश/2022-23 दिनॉक 23.11.2022 के अनुपालन में दिनॉक 1.7.2020 से एम.सी. एल.आर. दरों के अनुसार उपरोक्त गणना की गई है।

आपके द्वारा भूखण्ड पर निर्मित फ्लैट को विक्रय कर तृतीय पक्ष अधिकार सृजित किए जा चुके हैं। आपके द्वारा देय धनराशि जमा ना करने के कारण फ्लैट बॉयर्स की रजिस्ट्री/उप पट्टा प्रलेख के निष्पादन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिससे बॉयर्स द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध प्रतिदिन आक्रोश व्यक्त किया जाता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि इस पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपरोक्त धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त धनराशि का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किए जाने की दशा में आपके विरूद्ध U.P. Industrial Development Act, 1976 की धारा (Recovery of Moneys due to Authority) की उप धारा (a) अथवा (b) एवं लीजडीड में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं में निरस्तीकरण आदि की कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीया,

Aradhana
26/11/22

(आराधना)
प्रबन्धक (बिल्डर्स)

<u>प्रतिलिपिः-</u>

- स्टॉफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए.एस.) महोदया के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव को विशेष कार्याधकारी (बिल्डर्स) महोदय के अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- गार्ड फाईल।

प्रबन्धक (बिल्डर्स)